

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:—ई-20 / v-07/nursing/ajmer-31068-6650554 / 2024 / 27

दिनांक :- 21-01-2025

आदेश

श्रीमती वन्दना शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र विक्रमपुरा, खण्ड माण्डलगढ, जिला भीलवाडा जिनकी जन्म तिथि 18.04.1972 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 17.11.1995 है को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2025 को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—ई-20 / v-07/nursing/ajmer-31068-6650554 / 2024 / 27

दिनांक :- 21-01-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन-अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा ।
3. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
5. श्रीमती वन्दना शर्मा म0स्व0का0 को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग), मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :10-01-2025 07:54:14